FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** रायपुर **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0139 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/04/2024 03:02 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	120-B
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	467
4	भा दं सं 1860	468
5	भा दं सं 1860	471
6	भा दं सं 1860	504
7	भा दं सं 1860	506

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/04/2024 **Time (समय):** 02:47 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/04/2024 02:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गढवाली कालोनी लाडपुर रायपुर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अशोक कुमार अग्रवाल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री सुगन चन्द

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1979 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1 पार्क रोड लक्ष्मण चौक, देहरादून, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	1 पार्क रोड लक्ष्मण चौक, देहरादून, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विकेश नेगी		पिता का नाम : सोबत सिंह	1. सहीद स्मारक के सामने कचहरी,परिसर देहरादून,कोतवाली देहरादून,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
2	ड्राईवर दीपक			1. अज्ञात,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
3	कमल प्रसाद		पिता का नाम : स्व0 मेजर जनरल काम्ता प्रसाद	1. 8बी लक्ष्मी रोड देहरादून,कोतवाली देहरादून,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
4	योगेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ रोजी			1. अज्ञात,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
5	कुमारी गीता प्रसाद			1. अज्ञात,रायपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर वादी ---सेवा मे श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय , देहरादून । मान्यवर, प्रार्थी गण सादर निम्न निवेदन करते है 1. यह कि प्रार्थीगण के पूर्व परिचित अधिवक्ता श्री विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह कार्यालय शहीद स्मारक के सामने, कचहरी परिसर देहरादून, विकेश नेगी का ड्राईवर दीपक तथा विकेश नेगी के साथ श्री कमल प्रसाद पुत्र स्व0 मेजर जनरल काम्ता प्रसाद , निवासी 8बी लक्ष्मी रोड, देहरादून योगेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ रोजी एंव कुमारी गीता प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद निवासी 54 सिविल लाईन बरेली उत्तर प्रदेश व इनके अन्य साथियो ने प्रार्थी गण की मेहनत की कमाई के करोडो रुपये को कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर छल से हरडपने के लिये एक राय होकर एक अपराधिक षडयन्त्र रचा तथा इस षडयन्त्र को पूरा करते हुये इन लोगो ने प्रार्थी गण को अपनी प्रलोभन भरी बातो मे फसांकर प्रार्थी गण का मू0 93,00,000/-रुपये अंकन तिरान्वें लाख रुपये कूचरचित दस्तावेजो के आधार पर छल से हडप लिये तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी गण के द्वारा खर्च किये गये करोडो रुपये का नाजायज लाभ अलग से कमाया गया है। इस लोगो का उक्त अपराधिक कार्य चरण सं0 2 से 6 मे निम्नानुसार वर्णित है – 2 यह कि श्री विकेश नेगी एडवोकेट ने दिनांक 29/12/22 को प्रार्थी गण से देहरादून कचहरी परिसर मे अपने चैबर मे मुलाकात कर प्रार्थीगण को यह प्रलोभन भरा प्रस्ताव दिया कि मेरी एक जानकार वकील कुमारी गीता प्रसाद की स्वच्छ स्वामित्व की खसरा संख्या 106 एंव 148 ख की लगभग नौ बीघा भूमि स्थित ग्राम लाडपुर जिला देहरादून मे है जिसका कब्जा मेरे पास इसलिये है क्योकि मेने इस जमीन की बावत उनसे मोखिक अनुबंध दिनांक 13/02/2015 को

बरेली मे जाकर करते हुये उन्हे समस्त धनराशी का भुगतान नगद कर रखा है तथा उक्त जमीन का पंजीकृत मुख्तारनामा अपने प्रतिनिधि श्री कमल प्रसाद पुत्र मेजर काम्ता प्रसाद के नाम कर रखा है । यदि आप लोग मेरी इस जमीन मे अपनी प्लाटिंग करोगे तो आप लोगो को अच्छा मुनाफा होगा । मुझे अभी किसी अन्य जमीन मे एंव अपने एक बहुत जरुरी काम मे पैसा लगाने के लिये धन की बहुत जरुरत है , जिस कारण मेने अभी लगभग एक माह पूर्व दिनांक 30/11/22 को आपके ही एक परिचित श्री यशपाल आहुजा पुत्र श्री एच0आर0 आहुजा से इस जमीन के प्लांटिग के मार्केट रेट ढाई करोड रुपये प्रति बीघा से आधे से कम कीमत एक करोड रुपये प्रति बीघा की दर से अपनी उक्त भूमि को बेचने का अनुबन्ध किया है किन्तु उक्त श्री यशपाल आहुजा अपने किसी मजबूरी के कारण उक्त जमीन को खरीदने को अब तैयार नही है तथा मुझको दिये हुये एडवांस इक्कीस लाख रुपये वापिस मांग रहे है। आप लोग मुझे इक्कीस लाख रुपये का चैक जिस पर पूर्व तिथि दिनांक 30/11/2022 को अंकित हो बिना नाम के देना जो कि मै उक्त यशपाल आहुजा को वापिस दूंगा तथा उनके इस इक्कील लाख रुपये को मै आप लोगो के एग्रीमेन्ट मे अपने पास आये हुये दिखा दूंगा तथा इस पलाटिंग मे आप लोगो को श्री यशपाल आहुजा से ज्याद फायदा हो इसलिये मे आप लोगो को गढवाली कालोनी से आयुध विहार तक 25 फिट चौडा रास्ता तथा आयुध विहार की 2 बीघा वाली भूमि मे 20 फिट चौडा रास्ता बिना किसी कीमत के उपलब्ध करवाउगां । इस प्रकार विकेश नेगी ने प्रार्थी गणो पर अपना विश्वास जताने के लिये श्री कमल प्रसाद को फोन कर यह कहते हुये अपने चैम्बर मे बुलाया कि तुम गीता प्रसाद द्वारा जारी रसीद तथा पंजीकृत मुख्तारनामा की प्रति लेकर मेरे चैम्बर मै आ जाओ । लगभग आधे पौने घन्टे बाद उक्त विकेश नेगी के चैम्बर मे एक व्यक्ति आया जिसे विकेश नेगी ने कमल प्रसाद कहते हुये प्रार्थी गण से मिलवाया । उक्त कमल प्रसाद एंव विकेश नेगी ने प्रार्थी गण को एक रसीद जो कि कुमार गीता प्रसाद द्वारा श्री विकेश नेगी से उक्त भूमि के आंशिक विक्रय मुल्य हेतु प्राप्त धनराशी की बावत थी को तथा पंजीकृत मुख्तारनामा की छाया प्रति देते हुये प्रार्थीगणो को अपने जाल मे पूरी तरह फंसा लिया तथा उसी दिन प्रार्थी गणो एंव गीता प्रसाद के नाम से इनकी उक्त जमीन का एक विक्रय अनुबंध विलेक स्यंम बनाया तथा उक्त विक्रय अनुबंध को अंकित व निस्पादित करते हुये उक्त श्री विकेश नेगी एंव कमल प्रसाद ने प्रार्थी गणो से समय समय पर मु0 93,00,000/-रुपये अंकन तिरान्वे लाख रुपये निम्नानुसार अपने अपने नाम से छल पूर्वक उक्त कूट रचित दस्तावेज के आधार पर ठग लियेः- क. मु0 21,00,000/-रुपये अंकन इक्कीस लाख रुपये सी0एस0सी0 बैक शाखा नई दिल्ली के चैक संख्या 10092 दिनांकित 30/11/2022 के द्वारा इस चैक को विकेश नेगी ने बिना नाम के श्री यशपाल आहुजा को देने के लिये प्राप्त किया किन्तु बाद मे उसने इस चैक मे अपने ड्राईवर दीपक का नाम लिख कर उसके खाते मे कैश कराया एंव ख. मु0 5,00,000 /- रुपये अंकन पॉच लाख रुपये आर0टी0जी0एस0 संख्या CSBAH 2264000833 दिनांक 30/12/2022 के द्वारा एंव ग. मू0 19,00,000/-रुपये अंकन उन्नीस लाख रुपये नगद विकेश नेगी द्वारा दिनांक 10/01/2023 को एंव घ. मु0 15,00,000/-रुपये अंकन पन्द्रह लाख रुपये कमल प्रसाद द्वारा दो भिन्न भिन्न चैक संख्या 132143 एंव 661221 के द्वारा एंव च. मु0 6,50,000/-रुपये अंकन छः लाख पचास हजार रुपये विकेश नेगी को चैक संख्या 132144 दिनांकित 08/02/2023 के द्वारा एंव छ. मु0 6,50,000/-रुपये अंकन छः लाख पचास हजार रुपये विकेश नेगी को चैक संख्या 661222 दिनांकित 08/02/2023 के द्वारा एंव ज.मु0 11,00,000/-रुपये अंकन ग्यारह लाख रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा जोशीमठ के चैक संख्या 166886 दिनांकित 19/04/2023 के द्वारा एंव झ.मु0 5,00,000/-रुपये अंकन पांच लाख रुपये डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 710278 दिनांकित 20/02/2023 के द्वारा एंव ञ.मु0 4,00,000/-रुपये अंकन चार लाख रुपये डिमांड ड्राफ्ट संख्या 394314 दिनांकित 22/03/2023 के द्वारा 3. यह कि प्रार्थी गण द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष मे उक्त भूमि को प्लांटिग हेतु विकसित करने के काम ने लगभग एक करोड से अधिक की धनराशी व्यय की गयी । उक्त भूमि को प्लाटिंग हेतु पूरी तरह से विकसित करने के पश्चात प्रार्थी गणो द्वारा इस वर्ष जनवरी माह मे उक्त भूमि के अगल अलग प्लाट की रजिस्ट्री अगल अलग व्यक्तियो के नाम तथा अपने नाम मे कराने हेतु अनुरोध किया गया तब उक्त विकेश नेगी एंव कमल प्रसाद ने प्रार्थी गणो के साथ टालमटोल का रवैया अपनाना यह कहते हुये शुरु कर दिया कि हमे यह जानकारी मिली है कि इस जमीन की मूल स्वामी कुमारी गीता प्रसाद ने हमारे साथ बेईमानी करते हुये हमारा मुख्तारनामा निरस्त करा दिया । प्रार्थी गण इन लोगो की यह बात सुनकर हैरान हो गये तथा प्रार्थी गणो ने अपने एक बरेली के परिचित व्यक्ति को तुरन्त बरेली मे कुमारी गीता प्रसाद से मुलाकात करने तथा उनसे वास्तिविक्ता जानने केलिये भेजा । उस व्यकित ने प्रार्थी गणो की फोन पर कुमारी गीता प्रसाद से बात करायी जिस पर उन्होने बताया कि विकेश नेगी एवं कमल प्रसाद ने मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा जारी रसीदे बनायी है। मुझे इन लोगो से अपनी जान का भय है जिस कारण मे इन लोगो के खिलाफ कोई कार्यावाही करने से डरती हूं । प्रार्थी गणो द्वारा जब देहरादून रजिस्ट्री कार्यलय के दस्तावेजो की जांच आनलाईन करी गयी तब प्रार्थी गणो को इस बात का पता चला कि उक्त विकेश नेगी एंव उसके साथी योगेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ रोजी ने उक्त जमीन के एक छोटे भाग की लगभग नौ रजिस्ट्रीयां अपने नाम एंव अपने अन्य साथियो के नाम कमल प्रसाद से अंकित व निस्पादित कराते हुये प्रार्थी गणो के साथ धोखधडी की । इस प्रकार उक्त व्यकितयो ने बडे शातिराना तरीके से प्रार्थी गणो को अपने अपराधिक षडयंत्र मे फंसाते हुये प्रार्थीगणो के मु0 93,00,000/-रुपये छल कूटरचित दस्तावेजो के द्वारा हडप लिये है तथा उक्त जमीन के विकास मे प्रार्थीगणो के द्वारा खर्च किये गये लगभग एक करोड रुपये का भी स्वयं के नाजायज लाभ हेतु अनुचित फायदा उठालिया है। इस दौरान प्रार्थी गण को यह ज्ञात हुआ है कि उक्त विकेश नेगी एडवोकेट आदि ने जिस भूमि का कूट रचित रसीद के द्वारा भुगतान करके अपने नाम मुख्तारनामा अंकित व निस्पादित होना बताया था वह रसीद कूटरचित व फर्जी दस्तावेज था । प्रार्थी गणो को जैसे ही उक्त तथ्य का ज्ञान हुया प्रार्थी गण हैरान हो गये तथा उसे अपने साथ हुयी धोखाधडी का एहसास हुया । 4. यह कि अपने साथ हुयी उक्त धोखाधडी का प्रार्थीगण द्वारा उक्त विकेश नेगी एडवोकेट से विरोध करते हुये अपने को हुयी करोडो रुपये की क्षति पूर्ती की मांग इन लोगो से कीगयी जिस पर उक्त विकेश नेगी ने कहा कि आप लोग परेशान मत हों मे और कमल प्रसाद कुछ माह बाद आपको हुयी क्षति पूर्ती को दिनांक 10/30/24 तक पूरा करने के जिम्मेदार है , किन्तु हम अभी आपको उक्त धन देने मे असर्मथ है। कृपा करके आप इस बारे मे कोई पुलिस रिपोर्ट मत करियेगा, इससे मेरी व्यवसायिक ख्याति की बदनामी होगी । 5. यह कि उक्त विकेश नेगी एडवोकेट एंव कमल प्रसाद ने दिनांक 10/03/2024 को के पश्चात प्रार्थी गण के फोन उठाने बन्द कर दिये है। दिनांक 12/03/2024 को प्रार्थी रकम सिंह के किराये के घर रेसकोर्स मे दौ युवक आये तथा प्रार्थी रकम सिंह को बाहर बुलाकर कहने लगे कि हम विकेश नेगी एडवोकेट ने आपके पास उक्त रसीद को लेने के लिये भेजा है जो कुमारी गीता प्रसाद द्वारा उनेक पक्ष मे जारी की गयी है। यदि आप उक्त रसीद को हमे अभी दे देंगे तो हम आपको अभी आपकी क्षति पूर्ती के रुप मे आपके एक करोड रुपये जो हमारी गाडी मे रखे है अभी आपको देंगे तथा शेष रकम विकेश नेगी जी कुछ माह बाद आपको हिसाब करके देंगे । प्रार्थी रकम सिंह ने अपना समस्त भुगतान प्राप्त किये बिना उक्त रसीद को देने से इनकार कर दिया जिस पर वह लोग प्रार्थी रकम सिंह को यह धमकी देते हुये चले गये कि रसीद दिये बिना विकेश भाई तुम्ह एक फूटी कोडी नही देगा। उक्त युवको की एसी धमकी सुनकर प्रार्थी गण को अब यह एहसास हो चुका है कि इन लोगो ने कूट रचित रसीद बनाकर उसके आधार पर प्रार्थी गण के साथ धोखधडी करते हुये छल पूर्वक प्रार्थी का धन हडप लिया है। 6. यह कि कल दिनांक 13/03/2024 को प्रार्थी कमल जिदंल व रकम सिंह भाटी ने कोर्ट परिसर मे पहुचकर उक्त श्री विकेश नेगी से मुलाकात करते हुये उनके इस

आपराधिक कृत्य का विरोध करते हुये उनसे अपने पैसे एंव नुकसान की मांग की जिस पर विकेश नेगी ने प्रार्थी गणो को एक घंटे बाद आने को कहा । प्रार्थी गण जब एक घंटे के बाद जब उक्त विकेश नेगी के चैंबर मे पहुचे तो वहां पर विकेश नेगी ने एक व्यकित का परिचय योगेन्द्र कुमार उपाध्याय के गुर्गे के रुप मे कराते हुये यह दिया कि यह शार्प शूटर है तथा इसने अनेको हत्यायें की है । इसके बाद उक्त योगेन्द्र कुमार उपाध्याय के उक्त गुर्गे ने प्रार्थी कमल जिंदल एंव रकम सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी देते हुये धमकाया कि यदि तुम लोगो ने अब दुबारा अपने पैसे मांगे यह हमारे खिलाफ पुलिस मे कही कोई शिकायत करी तो अब तुम्हारा नंबर भी मेरी उस लिस्ट मे आ जायगी जिनका मैने मर्डर किया है । इसके पश्चात विकेश नेगी ने प्रार्थी गणो को धमकाते हुये कहा कि यह कचहरी है यदि मैने हल्ला मचा दिया तो सारे वकील मिलकर तुम्हे अभि मार मार कर खतम कर देंगे । यहां तुम्हे हमसे बचाने पुलिस भी नही आ पायगी । मै खुद किसी मंत्री संतरी मैयर से नही डरता । तुम अपने पैसे को अभी भूल जाओ जब हमारे पास होंगे तब हम अपनी मर्जी से वापिस करगें तुम लोग हमारा कुछ नही बिगाड सकते । प्रार्थीगण उक्त विकेश नेगी तथा उसके साथियों की धमकी से अत्यंत डरे हुये है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि विकेश नेगी एडवोकेट पुत्र सोबत सिंह शहीद स्मारक के सामने, कचहरी परिसर देहरादून, विकेश नेगी का ड्राईवर दीपक तथा विकेश नेगी के साथी श्री कमल प्रसाद पुत्र स्व0 मेजर जनरल काम्ता प्रसाद निवासी 8बी लक्ष्मी रोड देहरादून ,योगेन्द्र कुमार उपाध्याय उर्फ रोजी एंव कुमारी गीता प्रसाद ने आपस मे साज करते हुये प्रार्थी गण का धन छल व बेईमानी पूर्ण आशय से हडपने के लिये रसीद की कूट रचना करते हुये उक्त कूटरचित दस्तावेज को असल के रुप मे उपयोग मे लाकर प्रार्थी गण के धन को छल से हरण करने का अपराध किया है, जिस कारण उक्त समस्त वयक्तियो के विरुध आई0पी0सी0 की धारा 420,467,468,471,504,506, व 120 बी व अन्य सुसंगत धराओ के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुये प्रर्थी गण की जान माल की रक्षा करने की कृपा करें। दिनांक 14.03.2024 ह0 पठित हिन्दी रकम सिंह प्रार्थी गण 1) अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुगन चन्द निवासी 1 पार्क रोड लक्ष्मण चौक देहरादून । 2) श्री कमल जिन्दल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जिन्दल निवासी 25 ए महन्त रोड लक्ष्मण चौक देहरादून ।3) श्री रकम सिंह भाटी पुत्र श्री धनपाल सिंह स्थाई निवासी ग्राम देवटा जिला गौतमपुद् नगर उत्तर प्रदेश 9990740005. संलग्नकः- 1. कूटरचित रसीद की छायाप्रति । 2-अभियुक्त गण द्वारा अंकित व निष्पादित अनुबन्ध विलेख की छायाप्रति ।

नोट- मै कानि0 264 सी0पी0 अरविन्द कुमार प्रमाणित करता हूंकि नकल तहीर वादीगण शब्द बशब्द टाईप की गयी है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Guman Singh Negi **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 123 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kundan Ram

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): NA

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1984				**चेचक:** हां
2	पुरुष	1989				**चेचक:** हां
3	पुरुष	1982				**चेचक:** हां
4	पुरुष	1979				**चेचक:** हां
5	पुरुष	1984				**चेचक:** हां

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)